अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 4(6)शिक्षा–1/2014 जयपुर, दिनांक 12/05/2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषयः–ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु दिशा–निर्देश।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2015–16 के बजट अभिभाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को **आदर्श विद्यालय** के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जिसकी अनुपालना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु आदेश जारी किये गये है। वर्ष 2015–16 (31 मार्च, 2016 तक), वर्ष 2016–17 (31 मार्च, 2017 तक) एवं वर्ष 2017–18 (31 मार्च, 2018 तक) आदर्श विद्यालय के रूप मे स्थापित किये जाने विद्यालयों की सूची विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

आगामी तीन वर्षो में चरणबद्व रूप से विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु इन विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाऐं, बालक–बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ–साथ आई.सी.टी./कम्प्यूटर की उपलब्धता प्रदान की जाकर इन्हें **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जावेगा। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए **मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School)** एवं **संदर्भ केन्द्र (Resource Center)** के रूप में कार्य करेंगे।

पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने एवं इनके प्रभावी संचालन के विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर लेख है कि समस्त जिला एवं मंडल शिक्षा अधिकारियों को पालना हेतु निर्देश जारी करने का श्रम करे। आदर्श विद्यालय योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

12/5/15

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज0, जयपुर।
2. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा।
8. रक्षित पत्रावली।

12/5/15

(नसीरूद्दीन कुरैशी)
शासन उप सचिव, प्रथम

पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु

दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2015–16 के बजट अभिभाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को **आदर्श विद्यालय** के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए **मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School)** एवं **संदर्भ केन्द्र (Resource Center)** के रूप में कार्य करेंगे। आगामी तीन वर्षो में चरणबद्व रूप से विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाकर इन विद्यालयों को **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जावेगा।

2. चयन प्रकिया

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 14(6)शिक्षा–1/2014 दिनांक 05.01.2015 (परिशिष्ट–1) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकसित होने वाले आदर्श विद्यालय के चयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय का चयन कर सूची राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। इन विद्यालयों को 31 मार्च 2018 तक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। प्रथम चरण (31 मार्च 2016 तक), द्वितीय चरण (31 मार्च 2017 तक) एवं तृतीय चरण (31 मार्च 2018 तक), में विकसित किए जाने वाले आदर्श विद्यालयों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। आदर्श विद्यालयों की जिलेवार/पंचायत समिति वार सूची व विस्तृत विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाइट **www.rajshiksha.gov.in** पर उपलब्ध है।

3. आदर्श विद्यालयों को विकसित करने हेतु कार्ययोजना

3.1 भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure)

3.1.1 विद्यालय भवन

आदर्श विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता (कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेयजल सुविधा, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, आदि) चरणबद्व रूप से करवायी जाये। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(i) भवन उन्नयन हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) एवं सर्व शिक्षा अभियान (SSA) योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का उपयोग किया जायेगा। RMSA/SSA की वार्षिक

कार्य योजना बनाते समय यू–डाइस डेटा का सत्यापन कर Infrastructural gap के आधार पर प्लान तैयार किया जाये।

(ii) RMSA/SSA योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त विद्यालय भवनो का विकास राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा, नरेगा, MLA LAD/MP LAD तथा भामाशाहों, दानदाताओं एवं सीएसआर के माध्यम से किया जाये।

(iii) इस कार्य में विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष की राशि का उपयोग भी किया जाये। निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयों के छात्रकोष/विकास कोष के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जो परिशिष्ट–3 पर हैं।

(iv) आदर्श विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं का विकास किया जायेगा। खेल मैदान एवं वृक्षारोपण का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से नरेगा के तहत किया जाये। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 8.2.15 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। जिन विद्यालयों में खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है उनके खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करवायी जाकर खेल मैदान/सुविधाएं विकसित की जावे।

3.1.2 आईसीटी (ICT)लैब की स्थापना

3.1.2.1 समस्त आदर्श विद्यालयों में **कम्प्यूटर** लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटि की उपलब्धता एवं कक्षा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

3.1.2.2 वर्तमान में राज्य के 4802 आदर्श विद्यालयों में, तीन चरणो में आईसीटी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जा चुकी है। शेष विद्यालयों में ICT@school योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब की स्थापना चरण बद्व रूप से की जावेगी। इस हेतु दानदाताओ/भामाशाहों/MLA LAD/M P LAD से भी सहयोग लिया जाये।

3.1.2.3 आईसीटी प्रथम एवं द्वितीय चरण के तहत स्थापित कंपयूटर लैब का संवर्धन (augmentation) एवं रखरखाव school facility grant/छात्र कोष/विकास कोष एवं भामाशाहों/दानदाताओं/स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

3.1.2.4 जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित है, उनमें इंटरनेट ब्राडबैंड कनेक्शन करवाया जाये।

3.1.2.5 शिक्षकों द्वारा विषय शिक्षण में कम्प्यूटर लैब का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कम्पयूटर पर

कार्य करने के अभ्यास हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ताकि विद्यार्थियों की कम्पयूटर साक्षरता का स्तर बढ सके।

3.1.2.6 विद्यालय स्तर पर आईसीटी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्थाप्रधानों हेतु मार्गदर्शिका जारी की है जो www.rajrmsa.nic.in Website पर उपलब्ध है। इन दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

3.1.2.7 राजस्थान सरकार द्वारा E-learning हेतु विकसित School education पोर्टल का छात्र–अध्यापकों द्वारा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

3.1.3 विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण

3.1.3.1 आदर्श विद्यालयों के परिसर की स्वच्छता एवं सौन्दर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस हेतु जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, आमजन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

3.1.3.2 प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम शनिवार को अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से विद्यालयों में **स्वच्छता दिवस** मनाया जाये।

3.1.3.3 आदर्श विद्यालयों में सहज दृष्ट्या स्थानों पर **"राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित"** लिखवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3.1.3.4 आदर्श विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा–कक्षों/बरामदों की दीवारों को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए **लहर कक्ष** के पैटर्न पर तैयार किया जाये। अन्य कक्षाओं की दीवारों पर भी विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक सामग्री को प्रदर्शित किया जावे ताकि कक्षा–कक्ष विद्यार्थियों के लिए रूचिकर, ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बन सकें।

3.1.3.5 आदर्श विद्यालयों में कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय परिसर का माहौल विद्यार्थियों के लिये प्रेरणादायी बनाने के लिये महापुरूषों द्वारा कहे गये आदर्श वाक्य/सूक्तियों का लेखन कराया जाये।

3.2 आदर्श विद्यालयों में शिक्षक/अन्य कार्मिकों की उपलब्धता

आदर्श विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप शिक्षकों/अन्य कार्मिको की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। मानदण्डानुसार प्रत्येक विद्यालय में (i) संस्था प्रंधान (ii) प्राध्यापक (iii) वरिष्ठ अध्यापक (iv) अध्यापक लेवल–2/1 (v) शारीरिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष छात्र संख्या के अनुसार उपलब्ध करवाये जायेंगे, ताकि प्रत्येक कक्षा को शिक्षण हेतु शिक्षक उपलब्ध हो सके। साथ ही

निर्धारित मानदंडों के अनुरूप मंत्रालयिक कार्मिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जावेगी। शैक्षिक, गैर शैक्षिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों हेतु मानदण्ड परिशिष्ठ–'10' पर उपलब्ध है।

3.3 आदर्श विद्यालयों का प्रभावी संचालन

3.3.1 आदर्श/समन्वित विद्यालयों (कक्षा 1 से 12/10) के प्रभावी संचालन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/अ–1/आदर्श वि./21312/ वो–2/ 2014 दिनांक 12.2.2015 जारी किए गए है, जो परिशिष्ट–5 पर उपलब्ध है।

3.3.2 आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में कम से कम 150, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 9 से 12 में प्रत्येक कक्षा में 40 से 60 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(i) सत्र के प्रारम्भ में प्रवेशोत्सव कार्य योजना तैयार की जाये।
(ii) विद्यालय में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं व विशेष योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
(iii) प्रत्येक संस्था प्रधान व विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये बालक/बालिकाओं के प्रवेश (कम से कम 5 विद्यार्थी) का लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

3.3.3 वर्तमान में आदर्श विद्यालयों में कुल 27 लाख विद्यार्थी नामांकित है। इन विद्यालयों के नामांकन में आगामी तीन वर्षों (15–16,16–17 एवं 17–18) में 15 लाख की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले हेतु वर्षवार नामांकन के लक्ष्य परिशिष्ट–6 पर उपलब्ध है। प्रत्येक आदर्श विद्यालय हेतु वर्षवार नामांकन के लक्ष्य शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

3.3.4 शैक्षिक गुणवत्ता

3.3.4.1 State Initiative for Quality Education (SIQE)

राज्य के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 तक) के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से State Initative for Quality Education **(SIQE)** प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत Child Centered Padagogy (CCP), Activity Based Learning (ABL) तथा

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का कियान्वयन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर के माध्यम से किया जायेगा। प्रोजेक्ट की कार्य योजना, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गयी हैं। प्रोजेक्ट की कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी किये गये है जो कि परिशिष्ठ '11' पर उपलब्ध है।

3.3.4.2 प्राथमिक कक्षाओं में SIQE की अवधारणा के अनुसार शिक्षण कार्य, मूल्यांकन एवं अभिलेख संधारण सुनिश्चित किया जाये।

3.3.4.3 शैक्षिक सुधार की कार्य योजना तैयार कर शिक्षण–अधिगम प्रकिया को प्रभावी बनाया जाये।

3.3 विद्यालय प्रबन्धन एवं सह शैक्षिक गतिविधियॉ

3.4.1 आदर्श विद्यालयों में पंचाग एवं समय सारिणी के अनुसार शैक्षणिक/सहशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाये। इस हेतु पृथक से दिशा–निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किये जायेगे।

3.4.2 आदर्श विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों यथा स्काउट एवं गाइड, एनएसएस, एनसीसी, ईको क्लब, विज्ञान क्लब, कंज्यूमर क्लब इत्यादि का प्रभावी संचालन किया जाये।

3.4.3 आदर्श विद्यालयों में कार्य योजना बनाकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये एवं विद्यालयों में पाठक क्लब भी विकसित किये जाये।

3.4.4 आदर्श विद्यालयों में सहशैक्षिक गतिविधियां यथा खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी, मंच प्रस्तुतिकरण, संगीत, नृत्य एवं लोककलाओं पर विशेष बल दिया जावे।

3.5 आदर्श विद्यालय योजना का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था

3.5.1 राज्य स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना की कार्ययोजना बनाने एवं कियान्वयन का कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से किया जायेगा। समस्त आदर्श विद्यालयों में कार्ययोजना के अनुसार कियान्विति हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की शाषी परिषद्

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण करेंगी तथा निष्पादक समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं निष्पादन करेगी।

3.5.2 प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक 6(27)प्र.सु./ग्रूप–3/2015 जयपुर दिनांक 15.4.2015 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जिला निष्पादक समिति जिला स्तर पर आदर्श विद्यालयों के विकास की कार्ययोजना बनाने एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। जिले में इस योजना के क्रियान्वयन के नोडल अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक होंगे। (परिशिष्ट–7)

3.5.3 प्रत्येक पंचायत समिति में आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी स्तर के आरएएस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार पंचायत समिति में स्थित सभी आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्ययोजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जावेगी। इस बैठक में जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, ADPC SSA/RMSA, AEN SSA/RMSA एवं समस्त कार्यक्रम अधिकारी PO(RMSA) आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

3.5.4 शिक्षा विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को 5–10 विद्यालयों का प्रभार दिया जाये। पंचायत समिति में कार्यरत अन्य अधिकारियों यथा विकास अधिकारी, तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इत्यादि की भागीदारी भी योजना के क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित की जायेगी।

3.5.5 विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) की होगी। संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) विद्यालय की SDMC/SMC के माध्यम से विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु कार्ययोजना का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

3.5.6 पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को 5–10 आदर्श विद्यालयों का विकास एवं प्रभावी संचालन का प्रभार दिया जायेगा । इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी माह में कम से कम एक बार इन विद्यालयों का पर्यवेक्षण/सम्बलन सुनिश्चित करेंगे।

3.5.7 इन विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन एमआइएस (शाला दर्पण) विकसित किया जा रहा है। जिसको चरणबद्ध रूप से लागू किया जावेगा।

3.5.8 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी इन विद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रति माह टाइम्स/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि फॉलोअप कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

3.6 आदर्श विद्यालयों के विकास एवं संचालन में सामुदायिक सहभागिता एवं अन्य विभागो के साथ समन्वयन

3.6.1 सामुदायिक सहभागिता

3.6.1.1 आदर्श विद्यालयों के विकास में अभिभावकों एवं आमजन की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माह में कम से कम एक बार माह में कम से कम एक बार अभिभावक शिक्षक समिति (PTA) की बैठक आयोजित की जावे। इसके अतिरिक्त विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) तथा विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को भी प्रभावी बनाया जावे। (परिशिष्ट–8) विद्यालयों की एसडीएमसी एवं एसएमसी के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किए गए है (परिशिष्ट–9)।

3.6.1.2 प्रत्येक आदर्श विद्यालय को किसी दानदाता/भामाशाह/जिले में स्थित औद्योगिक इकाईयों/स्वयंसेवी संस्थाओं को गोद दिया जावे।

3.6.1.3 संबंधित ग्राम पंचायत की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये।

3.6.2 अन्य विभागों के साथ समन्वयन

आदर्श विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न विभागों यथा पंचायतीराज एवं महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इत्यादि की योजनाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

3.7 संस्थाप्रधान, शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों की क्षमता विकास

आदर्श विद्यालयों के चहुँमुखी विकास के लिय प्रत्येक स्तर पर क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण का प्रावधान किया जायेगा।

3.7.1 जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण

जिला शिक्षा अधिकारियो हेतु प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं शैक्षिक नेतृत्व के मुद्दों पर 7 दिवसीय संघन प्रशिक्षण, विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा। सीमेट के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु रिफ्रैशर कोर्स भी करवाये जायेंगे।

3.7.2 संस्था प्रधान हेतु प्रशिक्षण

न्यूपा एवं यूकेरी के माध्यम से संस्था प्रधानों के लिए नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण, फील्ड सपोर्ट कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

3.7.3 शिक्षक प्रशिक्षण

नवनियुक्त शिक्षकों हेतु अभिनव प्रशिक्षण एवं सेवारत शिक्षकों हेतु आवश्यकतानुसार विषय आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

3.8 सराहनीय कार्य करने वाले संस्थाप्रधानों/शिक्षकों/भामाशाहों/दानदाताओं को प्रोत्साहन

3.8.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित 26 जनवरी/15 अगस्त के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा।

3.8.2 प्रत्येक पंचायत समिति में सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान को उपखंड स्तर पर आयोजित 26 जनवरी/15 अगस्त के कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा।

3.8.3 प्रत्येक जिले में तीन सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को 26 जनवरी/15 अगस्त के जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा।

3.8.4 शिक्षा संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय 26 जनवरी/15 अगस्त के समारोह में राज्य के 5 सर्वेश्रेष्ठ आदर्श विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को सम्मानित किया जायेगा।

3.8.5 राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय का चयन विद्यालय में विकसित की गई सुविधाओं, शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के Learning levels एवं कक्षा 8, 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जायेगा।

3.8.6 पंचायत समिति के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का चयन संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा, जिला स्तरीय सम्मान हेतु विद्यालय का चयन जिला कलेक्टर द्वारा

(संबंधित प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर) तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा (संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर) किया जावेगा।

3.8.7 राज्य स्तर पर भामाशाहों/दानदाताओं को सम्मानित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी दानदाताओं/भामाशाहों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जावेगा। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.8.8 उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान योजना के दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जावेगा। इस हेतु दिशा–निर्देश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किये जायेंगे।।

(3

(135)
परिशिष्ट - 1

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प्र. 14(4)शिक्षा–1 / 2014 जयुपर, दिनांक 5/1/2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित पंचायतों को शामिल करते हुए) में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने के कम में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय विकसित किये जाने की घोषणा की है (प्रति संलग्न है)। आदर्श विद्यालय विकसित करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में (पुनर्गठित पंचायतों को शामिल करते हुए) एक उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय का चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:–

(अ) ग्राम पंचायत में संचालित कक्षा 1 से 12 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है। यदि इस ग्राम पंचायत में एक से अधिक कक्षा 1 से 12 तक के राउमावि संचालित हैं, तो उनमें से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के लिए चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 12 तक संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो उस ग्राम पंचायत के कक्षा 1 से 10 तक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जावे। यदि उस ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 10 तक संचालित एक से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित है तो उनमें से एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के लिए चयन, विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(स) यदि ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) या माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10) स्थापित नही है, तो उस ग्राम पंचायत में राउमावि (कक्षा 6 से 12) का चयन करे। यदि ग्राम पंचायत में इस प्रकार के एक से अधिक विद्यालय है, तो उनमें से आदर्श विद्यालय के लिए एक राउमावि (कक्षा 6 से 12) का चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(द) यदि ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) या माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10) या उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 से 12 स्थापित नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत में राउमावि (कक्षा 9 से 12) का चयन किया जावे। यदि ग्राम पंचायत में इस प्रकार के एक से

अधिक विद्यालय है, तो उनमें से आदर्श विद्यालय के लिए एक राउमावि (कक्षा 9 से 12) का चयन विद्यालय में नामांकन, ICT लैब इन्टरनैट कनेक्शन, अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय की अवस्थिति (Location) के आधार पर किया जावे।

(य) जिन ग्राम पंचायत में उपरोक्त में से किसी प्रकार का विद्यालय नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में कक्षा 1 से 8 तक संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम का उल्लेख कर सूची प्रस्तुत करावें।

उपरोक्तानुसार आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिये पंचायत समितिवार प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 12.01.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान सरकार
3. रक्षित पत्रावली।

उपशासन सचिव, प्रथम

परिशिष्ट-2

प्रस्तावित आदर्श विद्यालयों की वर्षवार समेकित सूचना

S. No.	District Name	वर्ष 2015–16 तक				वर्ष 2016–17 तक						वर्ष 2017–18 तक					Grand Total
		1-12 Old	1-10	6-12 Old	Total	1-12 Old	1-10	6-12 Old	9-12 Old	6-10	Total	1-12 New	6-12 New	UPS	PS	Total	
1	Ajmer	44			44	85	8	1			94	140		4		144	282
2	Alwar	69			69	115	83	17	16	1	232	187	4	20		211	512
3	Banswara	46			46	30	10	4	7		51	216	1	25	7	249	346
4	Baran	33			33	27	5	2	1		35	142	4	7		153	221
5	Barmer	75			75	22	43	9	10		84	251	7	71	1	330	489
6	Bharatpur	50			50	72	31	7	9	1	120	200	2	2		204	374
7	Bhilwara	60			60	73	3	1	1		78	246				246	384
8	Bikaner	32			32	24	42	6	4	2	78	125	8	39	8	180	290
9	Bundi	22			22	32	5	3	1	2	43	116		2		118	183
10	Chittorgarh	52			52	39	3	5	2		49	176	11	2		189	290
11	Churu	30			30	73	53	10	1	5	142	78	4			82	254
12	Dausa	25			25	51	45	8	3		107	97		5		102	234
13	Dholpur	19			19	33	19	3			55	88		9		97	171
14	Dungarpur	19			19	18	9	36	18		81	130	15	42	4	191	291
15	Hanumangarh	35			35	54	58	1		2	115	95	5		1	101	251
16	Jaipur	74			74	114	135	27	5	8	289	137	6	26		169	532
17	Jaisalmer	15			15	5	2	10			17	89	7	10	2	108	140
18	Jalore	39			39	38	17			1	56	174		5		179	274
19	Jhalawar	40			40	33	2	2			37	174		1		175	252
20	Jhujhunu	39	1		40	121	67	7			195	60	1	4	1	66	301
21	Jodhpur	57	18		75	22	40	33	18	13	126	155	28	80	2	265	466
22	Karoli	30			30	39	29	2			70	120	4	2	1	127	227
23	Kota	22			22	30	1	11	2		44	83	6		1	90	156
24	Nagaur	70			70	94	52	8	2	1	157	232	3	4	1	240	467
25	Pali	49			49	70	11	1	1		83	187	2			189	321
26	Pratapgarh	24			24	17	7	2	2		28	104		7	2	113	165
27	Rajsamand	35			35	45	6				51	120	1			121	207
28	S.Madhopur	30			30	36	16				52	115		3		118	200
29	Sikar	40			40	113	96	11	2	2	224	69	5	5		79	343
30	Sirohi	25			25	23	7				30	98		8	1	107	162
31	Sriganganagar	35	4	1	40	43	40	9	2	2	96	187	5	7	1	200	336
32	Tonk	30			30	52	12	2			66	132	1	1		134	230
33	Udaipur	48	3		51	31	11	61	3	6	112	291	24	48	18	381	544
	Grand Total	1313	26	1	1340	1674	968	299	110	46	3097	4814	154	439	51	5458	9895

परिशिष्ट – 3

परिशिष्ट – 3

(38)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांकः 28 फरवरी 2015

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांकःशिविरा–माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांक 21 जनवरी 2015 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं कक्षा 9 से 10/ कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) के गठन एवं आय–व्यय पर नियन्त्रण रखने, लेखे संधारित करने बाबत विवरण अंकित किया गया है ताकि वर्णित समितियों द्वारा प्रभावी तरीके से कार्यों का निष्पादन किया जा सके।

विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12तक के समन्वित विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.4(6)शिक्षा–1/2014 जयपुर दिनांक 11.02.2015 के क्रम में जारी किया गया है ताकि विद्यालयों में स्वच्छ शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रायः देखने में आया है कि राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष एवं विद्यालय विकास कोष में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी संस्था प्रधान राशि का उपयोग नहीं करते है अथवा विकास समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ एवं स्थानीय समुदाय का आपस में समुचित समन्वय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्रभावी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण हेतु वांछित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि छात्रकोष एवं विद्यालय विकास कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है, जो अत्यन्त शोचनीय विषय है।

छात्रकोष/विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उद्देश्य से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है–

1. **कार्य योजना**– सत्रांत में विद्यालय के अगले सत्र की आवश्यकताओं का आंकलन कर विद्यालय प्रबन्धन/विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति, छात्र–अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ, प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं गठित समिति सदस्यों से विचार विमर्श कर कार्य योजना का निर्धारण किया जावे। सामयिक समीक्षा के दौरान कार्ययोजना में शैक्षिक गुणात्मक सुधार से संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित संशोधन हेतु संस्था प्रधान को पूर्ण स्वायत्तता होगी। कार्ययोजना में विद्यार्थियों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री, खेलकूद सामग्री व बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर, दरी–पट्टी आदि के क्रय के साथ–साथ पीने के पानी की व्यवस्था, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण, मरम्मत, रख–रखाव एवं विद्यालय परिसर सहित उनकी सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।

2. **राशि का उपयोग**–छात्रकोष/विकास कोष के सुचित उपयोग की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति छात्रकोष शुल्क/विकास कोष शुल्क के उपयोग हेतु प्रतिवर्ष आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में प्राथमिकता तय करेगी, जिससे विद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यथा संभव संस्था प्रधान इस कोष से स्वयं के कार्यालय (Office Chamber) पर व्यय नहीं कर सकेंगे। छात्रहित से संबंधित कार्यों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान

स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में छात्र हित में समिति की स्वीकृति के बिना व्यय किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात ही किया हुआ व्यय नियमित माना जायेगा।

3.0 **छात्र कोष/विकास कोष से किये जाने योग्य कार्य**–विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति से अनुमोदन परचात शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, विद्यार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था, पीने के पानी व बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग स्वच्छ टॉयलेट्स की उपलब्धता, हेतु नियत किये गये समस्त कार्य छात्र कोष/विकास कोष से कराये जा सकेंगे। विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से चलाने तथा व्यय की जाने वाली राशि की सार्थकता के परिपेक्ष्य में में संस्था प्रधान की सुविधा हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची निम्नानुसार है:–

3.1 छात्रकोष के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य–

3.1.1 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में दरी पट्टी, डेस्क एवं टेबल कुर्सी की कक्षा स्तर अनुसार व्यवस्था।

3.1.2 कक्षा कक्ष संचालन हेतु चॉक, डस्टर, सहायक शिक्षण सामग्री व पोस्टर्स, सहायक शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था।

3.1.3 उच्च गुणवत्ता वाले फाईबर बोर्ड/श्याम पट्ट।

3.1.4 बच्चों के प्रवेश उत्सव पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत, विद्यालय पहचान पत्र बनवाना व अच्छा कार्य करने वाले लोकसेवक/एनजीओ का सम्मान।

3.1.5 परिसर, कक्षा–कक्ष में रंग–रोगन/वॉल पैंटिग। कक्षा 1 से 5 के लिए लहर कार्यक्रम की भांति, कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान एवं जानकारी एवं कक्षा 9 से 12 के लिए महापुरूषों के चित्र, विभागीय योजनाएं, भामाशाह एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विवरण, महापुरूषों के नाम, छात्रवृति व अन्य योजनाओं का विवरण विद्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर अंकित कराया जाना।

3.1.6 खेलकूद प्रवृतियों के लिए खेल सामग्री यथा–फुट वॉल,वॉलीवाल,बास्केटवॉल, नेट आदि।

3.1.7 खेलकूद प्रतियोगिताएं, छात्र प्रवृतियां, सांस्कृतिक प्रवृतियां, सामाजिक प्रवृतियां, मनोरंजन उत्सव, समारोह, पुरस्कार, शाला पत्रिका अतिथि सत्कार, निमंत्रण पत्र आदि।

3.1.8 सम्मान/गृह परीक्षा संचालन व्यय।

3.1.9 शारदे बालिका छात्रावासों की बालिकाओं हेतु शैक्षिक गतिविधियां।

3.1.10 समाज उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं कार्यानुभव गतिविधियां।

3.1.11 पुस्तकालय–वाचनालय हेतु प्रत्येक विद्यालय में समाचार पत्र हिन्दी/अंग्रेजी, पाक्षिक पत्र–पत्रिका छोटे बच्चों की पत्रिकाएं/महापुरूष की जीवनियां व अन्य पुस्तकों की व्यवस्था।

3.1.12 विद्यालय प्रार्थना सभा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए माईक, हारमोनियम, तबला, ढोलक, रंगोली निर्माण सामग्री, रंगोली बनाने की पुस्तकें आदि।

3.1.13 विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था।

3.1.14 कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सम्मान पत्र व पुरस्कार।

3.1.15 प्रत्येक परख व परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस की अवधि में अभिभावक के साथ संवाद (पीटीए बैठक) व फोटोग्राफी।

3.1.16 कक्षा 8 से 12 के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की ग्राम/कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली निकालना एवं फोटोग्राफी।

17

3.1.17 विधवा/परित्यक्ता/विशेष योग्यजन अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय पोशाक कपड़े, जूते व मोजे (दो जोड़ी) तथा स्कूल बैग–कक्षा 1 से 5 के लिए।

3.1.18 कमरों में पंखे, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर एवं ठण्डे पानी हेतु फीज की व्यवस्था एवं विद्युत बिल/पानी का बिल/टेलिफोन बिल का भुगतान।

3.1.19 विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, खेलकूद, शिक्षा उन्नयन, शोधकार्य आदि को प्रोत्साहित किये जाने की दशा में तीन माह में एक वाक्पीट।

3.1.20 विद्यालय सूचना पट्ट एवं साईन बोर्ड आकर्षक तरीके से बनवाने व ज्ञानार्थ–प्रवेश, सेवार्थ–प्रस्थान संबंधी पेंटिग आदि।

3.2 विद्यालय विकास कोष संबंधी कार्य–

3.2.1 स्कूल परिसर(बाहर–अन्दर) पेड़ कटाई–छटाई।

3.2.2 कक्षा कक्षों की माईनर रिपेयर यथा–किवाड़, खिड़की, बिजली फिटिंग, टूटफूट, पानी लाईन, माईनर सिविल वर्क।

3.2.3 बालिकाओं हेतु संचालित शारदे बालिका छात्रावास का विकास।

3.2.4 विद्यालय परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा (स्टेच्यू) का निर्माण।

3.2.5 पूर्व से संचालित विकास योजनाओं से डवटेल कर विद्यालय में विकास कार्य।

3.2.6 विद्यालय परिसर में पेयजल,हैण्डपम्प आदि का निर्माण (जन सहयोग व विकास योजनाओं से)

3.2.7 निर्माण कार्यों में खेलकूद मैदान चारदीवारी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट व ऑडिटोरियम आदि का निर्माण।

4.0 पर्यवेक्षण–

4.1 संस्था प्रधान प्रत्येक माह के अन्त में छात्र कोष में उपलब्ध राशि की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण एव निरीक्षण से संबंधित अधिकारी भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में छात्र कोष की राशि के संबंध में टिप्पणी अंकित करेंगे तथा विद्यालय का प्रभावी संचालन/विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए छात्र कोष/विकास कोष के उपयोग हेतु आवश्यक होने पर संस्था प्रधान को निर्देश देने के लिए अधिकृत होंगे ।

4.2 जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक/उप निदेशक(माध्यमिक) एवं निदेशालय के अधिकारी निरीक्षण के दौरान छात्र कोष/विकास कोष की राशि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे, जिससे इस राशि का विद्यालय/विद्यार्थियों के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

4.3 जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शाला प्रधानों से प्रत्येक माह के अन्त में निम्नांकित प्रारूप में सूचना प्राप्त कर विद्यालयवार अवशेष राशि व विद्यालय योजना के अनुसार प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षा पश्चात आवश्यक निर्देश संस्था प्रधानों को जारी करेंगे जिससे विद्यालय स्तर पर विद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	माह के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि	माह में व्यय राशि	माह के अन्त में शेष राशि

उक्त परिपेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्देशों के पश्चात विद्यालयों में छात्रकोष/विकास कोष का प्रभावी उपयोग नहीं करने पर संस्था प्रधानों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांकः 28 फरवरी 2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर/बीकानेर
3. समस्त मण्डल उप निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
4. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
5. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

13

MAR-20-2015 11:20 From:

परिशिष्ट – 4

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2700459, E-mail: civil.rcse@gmail.com

क्रमांक:– RCSE/Civil/F-45/ D-2960 दिनांक: 3/2/2015

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2015 को सायः 4.30 बजे समिति कक्ष–प्रथम, शासन सचिवालय जयपुर में राजस्थान में निर्मित किये जाने वाले मॉडल स्कूलो के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय), जयपुर।
5. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (एस. एस), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।

बैठक में मॉडल स्कूल निर्माण के सम्बन्ध में एजेन्डा बिन्दुओ पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	एजेन्डा	निर्णय	क्रियान्वयन की समय सीमा एव सम्बन्धित विभाग
1.	सा.नि.वि. द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन 71 मॉडल स्कूलों के शेष निर्माण कार्य हेतु ऐजेन्सी निर्धारण।	• 71 मॉडल स्कूलो का शेष निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निम्न कार्यवाही की जानी है:– • सा.नि.वि. एवं रामाशिप के मध्य MOU किया जायेगा। • निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ करना। • कार्य पूर्ण कर परिषद को हस्तान्तरित करना।	7 दिवस (रा.मा.शि.प. एवं सा.नि.वि.) 31 मार्च, 2015 तक (सा.नि.वि) 31 मार्च, 2016 तक (सा.नि.वि.)
2.	नवीन 63 मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य हेतु ऐजेन्सी निर्धारण।	• 63 मॉडल स्कूलों में से जिन जिलो में राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. (आर.एस.आर.डी.सी) के कार्यालय संचालित है, उन जिलो में आर. एस.आर.डी.सी द्वारा एवं अन्य जिलों में सा.नि.वि. द्वारा निर्माण किया जावें। इस हेतु निम्न कार्यवाही की जानी है:–	

		• आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा जिन मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जायेगा उसकी सहमती प्रस्तुत करना। • आर.एस.आर.डी.सी / सा.नि.वि. तथा रामाशिप के मध्य MOU किया जायेगा। • निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ करना। • कार्य पूर्ण कर परिषद को हस्तान्तरित करना।	5 फरवरी, 2015 तक (आर.एस.आर.डी.सी) 7 दिवस (रा.मा.शि.प. एवं आर.एस. आर.डी.सी./ सा.नि.वि.) 31 मार्च, 2015 तक (आर.एस.आर.डी.सी./सा.नि.वि.) 31 दिसम्बर 2016 तक (आर.एस.आर.डी.सी./सा.नि.वि.)
3.	नवीन स्वीकृति हेतु प्रस्तावित 52 मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु ऐजेन्सी निर्धारण।	• 52 मॉडल स्कूलों में से जिन जिलो में राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. (आर.एस.आर.डी.सी) के कार्यालय संचालित है, उन जिलों में आर. एस.आर.डी.सी द्वारा एवं अन्य जिलों में सा.नि.वि. द्वारा निर्माण किया जावें। • आर.एस.आर.डी.सी द्वारा जिन मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जायेगा उसकी सहमती प्रस्तुत करना। • आर.एस.आर.डी.सी / सा.नि.वि. तथा रामाशिप के मध्य MOU किया जायेगा। • निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ करना। • कार्य पूर्ण कर परिषद को हस्तान्तरित करना	5 फरवरी 2015 (आर.एस.आर.डी.सी.) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिवस में (रा.मा.शि.प. एवं आर.एस. आर.डी.सी / सा.नि.वि) MOU किये जाने के पश्चात 2 माह में। (आर.एस.आर.डी.सी / सा.नि.वि) MOU किये जाने के पश्चात 1 वर्ष 6 माह में। (आर.एस.आर.डी.सी / सा.नि.वि)
4.	मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्यों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट के सम्बन्ध में चर्चा एवं निर्णय।	• सा.नि.वि. द्वारा निर्मित/ निर्माणाधीन 71 मॉडल स्कूलो हेतु:- निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् थर्ड पार्टी इवेल्यूऐशन दो स्टेंज में करवाया जावे। (i) प्रथम – कार्य पूर्ण होने पर (ii) द्वितीय– सुधार कार्य होने के पश्चात् इस हेतु निम्न कार्यवाही की	

		• निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी का चयन करना। • थर्ड पार्टी इवेल्यूऐशन का कार्य पूर्ण करना। • थर्ड पार्टी इवेल्यूऐशन के सुझाव के अनुसार आवश्यक सुधार करने के पश्चात ही संवेदकों को अंतिम भुगतान किया जावें।	निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। (रामाशिप) 31 मई 2015 सा.नि.वि.
		• नवीन 115 (63+52) मॉडल स्कूलो तथा उक्त 71 मॉडल स्कूलों के शेष निर्माण कार्य हेतु:— मॉडल स्कूलो के निर्माण हेतु थर्ड पार्टी इवेल्यूऐशन चार स्टेज में करवाया जावें। 1. प्लिन्थ लेवल पर 2. छत लेवल पर 3. फिनिशिंग के दौरान 4. कार्य पूर्ण होने पर इस हेतु निम्न कार्यवाही की जानी है:— • निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी का चयन करना। • थर्ड पार्टी इवेल्यूऐशन के सुझाव के अनुसार आवश्यक सुधार करने के पश्चात ही संवेदकों को भुगतान किया जावें।	30 अप्रेल, 2015 (रा.मा.शि.प.) (सा.नि.वि./आर.एस.आर.डी.सी.)
	5. मॉडल स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था पर चर्चा।	• जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निरन्तर एवं प्रभावी निरीक्षण किया जावें। • सा.नि.वि. / आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा आवश्यक होने पर निर्धारित स्पेशिफिकेशन, ड्राईंग एवं डिज़ाईन में परिवर्तन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की पूर्व स्वीकृति उपरान्त ही किया जावें।	माह में एक बार (जिला कलेक्टर एवं जि.म.स. रामाशिअ) आवश्यकतानुसार (सा.नि.वि./आर.एस.आर.डी.सी एवं रामाशिप)
	6. मॉडल स्कूलों में कक्षा-कक्षों को स्मार्ट कक्षा-कक्ष के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा।	• समस्त मॉडल स्कूलो के सभी कक्षो में इंटरनेट/लेन (LAN) कनेक्शन, ओवरहैड प्रोजेक्टर हेतु कंसीलड वायरिंग, केबलिंग की जावें।	निर्माणाधीन 71 मॉडल स्कूलों में 31 मार्च, 2015 तक (सा.नि.वि) एवं शेष मॉडल स्कूलों में निर्माण के साथ (सा.नि.वि./आर.एस. आर.डी.सी)

		• कक्षा–कक्षो में शिक्षण कार्य हेतु एक ग्रीन फाईबर बोर्ड साईज 8' x 4' व एक नोटिस बोर्ड साईज 6' x 4' का कमरे में साईड की दीवार पर लगाया जावे।	परिषद को भवन हस्तान्तरित करने से पूर्व (सा.नि.वि. / आर.एस.आर.डी.सी)
		• सभी प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष में एक– एक ग्रीन फाईवर बोर्ड 8' x 4' साईज का लगाया जावे।	परिषद को भवन हस्तान्तरित करने से पूर्व (सा.नि.वि. / आर.एस.आर.डी.सी)
7.	मॉडल स्कूलों के भवन को उत्कृष्ट बनाने की सम्बन्ध में अन्य सुझावों पर चर्चा एवं निर्णय।	• सभी मॉडल स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्य "महात्मा गांधी नरेगा" के अन्तर्गत किया जावेगा, इसके लिए आयुक्त, महानरेगा सभी जिलों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगें।	15 मार्च, 2015 तक (आयुक्त, महानरेगा)
8.	मॉडल स्कूलों एवं ग्राम पंचायत स्तरीय आर्दश स्कूलों के खेल मैदान महात्मा गांधी नरेगा से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं निर्णय।	• 186 मॉडल स्कूलों एवं 9900 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श स्कूलों के खेल मैदान का विकास महात्मा गांधी नरेगा से किया जावेगा।	आयुक्त, महानरेगा
		• 186 मॉडल स्कूलो के खेल मैदानों के विकास के लिए कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जिला कार्यालय तथा 9900 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श स्कूलों के लिए कार्यकारी एजेन्सी संबधित ग्राम पंचायत होगी।	महानरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा रामाशिप जिला कार्यालय
		• इसके लिए आयुक्त, महानरेगा सभी जिलों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगे।	16 मार्च, 2015 तक (आयुक्त, महानरेगा)
9.	अन्य बिन्दु :– (i) सा.नि.वि द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन 71 मॉडल स्कूलों का निरीक्षण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा एव निर्णय।	• जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 33 मॉडल स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है, शेष 38 मॉडल स्कूलों का निरीक्षण किया जावें।	11 फरवरी 2015 तक (सम्बन्धित जिला कलेक्टर)
		• 33 मॉडल स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट सा.नि.वि को प्रेषित की गई है तथा शेष 38 मॉडल स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट में वर्णित कमियों	31 मार्च 2015 तक (सा.नि.वि.)

	(ii) निर्मित मॉडल स्कूल के भवनों में शैक्षणिक कार्य का संचालन।	• समस्त पूर्ण 52 मॉडल स्कूलों के भवनों मे शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे तथा सानिवि द्वारा सुधार कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावें।	सा.नि.वि / रामाशिप
	(iii) आमेर तथा सांगानेर ब्लॉको में प्रस्तावित मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु ज.वि. प्रा. द्वारा आवंटित भूमि के लिए शुल्क की मांग की गई है, जबकि भारतसरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन की स्थिति में ही मॉडल स्कूलो की स्वीकृति जारी की जाती है।	• नगरीय विकास विभाग के स्तर से जयपुर विकास प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।	7 दिवस में (नगरीय विकास विभाग /जयपुर विकास प्राधिकरण)

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

8/2/15

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव (सा.शि.) एवं आयुक्त
रामाशिप, जयपुर

दिनांक: 6/2/2015

क्रमांक:-RCSE/ Civil/F-45/D-2960

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
10. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. सम्बन्धित जिला कलेक्टर .....।
12. मुख्य अभियंता (एस. एस) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क एवं विकास निगम लि., जयपुर।
14. अतिरिक्त आयुक्त / अधीक्षण अभियंता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

परिशिष्ट - 5

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा–मा./माध्य/अ–I/आदर्श वि./21312/वो–2/2014 दिनाक 12 फरवरी 2015

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु कक्षा–1 से 12 एवं कक्षा 01 से 10 तक के **समन्वित विद्यालयों** की स्थापना की गयी है। समन्वित विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों का प्रशासनिक नियंत्रण विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के अधीन होने से अध्यापकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी। विद्यालयों के संचालन हेतु कक्षावार अध्यापकों की उपलब्धता तथा प्रभावी परिवीक्षण से शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता में सुधार तथा ड्रॉप–आउट दर में कमी होगी।

विभाग में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये समन्वित विद्यालयों का प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है–

1.0 विद्यार्थियों का नामांकन व प्रवेश –

प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश लेकर विद्यालय की उच्चतम कक्षा 12/10वीं (यथा स्थिति) तक अनवरत् गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने की सुनिश्चितता हेतु संस्था प्रधान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:–

1.1 चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे के आधार पर शिक्षा से वंचित बच्चों का प्रवेशोत्सव के द्वारा विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रवेशोत्सव में जन प्रतिनिधियों/गणमान्य नागरिकों/अधिकारियों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। संस्था प्रधान विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के लिए कम से कम 5 बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित कर सकेगें। विद्यालयों से जोड़े गये बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित किया जाये।

1.2. नव प्रवेशित बच्चों को सामूहिक रूप से तिलक/अर्चन कर पाठ्य सामग्री सहित प्रवेश दिया जाये। 05 गई को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रवेशोत्सव की समीक्षा कर 1 जुलाई से 7 जुलाई की कार्य योजना पर विचार किया जाये।

1.3 प्रवेशोत्सव में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोक सेवक एवं स्वयंसेवी संस्था को ग्राम पंचायत की जुलाई माह के द्वितीय पाक्षिक बैठक में सम्मानित किया जाये एवं इस कार्यक्रम की पूर्ण फोटोग्राफी कराकर फोटोग्राफ्स ग्राम पंचायत व विद्यालय में रखी जाये। इस हेतु राशि छात्रकोष/विद्यालय कोष से व्यय की जा सकेगी।

1.4. नामांकन में वृद्धि के लिए प्रवेशोत्सव प्रारम्भ किये जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (पेम्पलेट) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा विद्यालयों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से राजस्व ग्राम एवं ढाणियों तक वितरित करना सुनिश्चित करें। योजनाओ के संक्षिप्त विवरण का प्रारूप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अप्रेल तक उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि जिला शिक्षा अधिकारी 1 मई से पूर्व आवश्यक प्रकाशन एवं मुद्रण करवा सके। इस व्यवस्था से समस्त जिलों में एक रूपता रहेगी। निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा" उत्तरदायी हों।

1.5 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण विद्यालय परिसर में वॉल–पेन्टिग के माध्यम से भी संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1.6. प्रवेशित बच्चों में से ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चिन्हित कम से कम एक बच्चे को स्थानीय भामाशाह/ग्रामीण समुदाय का मुखिया/स्वयं सेवी संस्था/लोकसेवक द्वारा गोद लिया जाना भी नामांकन की दिशा में अभूतपूर्व पहल होगी।

2. शैक्षिक सुधार

2.1 समन्वित विद्यालयों के अधीन चल रही समस्त कक्षाओं पर नियंत्रण समन्वित विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) का होगा।

2.2 समन्वित विद्यालयों के अधीन किये गये समस्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ समन्वित विद्यालय के संस्था प्रधान के अधीन होंगे तथा इनका उपस्थिति रजिस्टर एक ही होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में एक ही रजिस्टर संधारित किया जाना संभव नही है तो जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही पृथक उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जा सकेगा।

2.3 राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 21(15)प्रा.शि./आयो./2012 दिनाक 10.11.2014 के द्वारा समन्वित होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों की वेतन व्यवस्था मार्च 2015 तक पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। इस

अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों, सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश आदि की सूचना संस्था प्रधान द्वारा ही संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी तथा उसी अनुसार वेतन भत्ते आहरित किये जायेंगे।

2.4 समन्वित विद्यालय का संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कक्षा/वर्ग के लिए एक कक्षा–कक्ष हो अर्थात किसी भी कक्षा को दूसरी कक्षा के साथ मिलाकर नहीं बैठाया जाए। अपरिहार्य स्थिति में भवन में कक्षा–कक्षों का अभाव होने पर एक ही कक्ष में बैठाई जाने वाली कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों को कक्षावार अलग–अलग बैठाकर ही किया जाये।

2.5 समन्वित विद्यालय का संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि कक्षा 1 से 5 तक एक शिक्षक द्वारा एक ही विषय सभी कक्षाओं को पढाया जाये अर्थात् विषय अध्यापक के रूप में एक शिक्षक को सभी कक्षाओं में एक विषय की जिम्मेदारी दी जाये, ताकि शिक्षक को बच्चों के एक विषय में शैक्षिक स्तर की जानकारी रहे एवं वह कार्ययोजना बनाकर कार्य कर सके।

2.6 शाला प्रधान को एक लीडर के रूप में अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करना है। एक अच्छा विद्यालय बनाने के लिए शाला प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण है। शाला प्रधान इस हेतु अपने विद्यालय की कार्य योजना तय करे। कार्य योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए उपलब्ध भौतिक, मानवीय व वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चत कर समय–समय पर विद्यालय की उपलब्धियों और विभिन्न गतिविधियों की प्रगति पर अपने साथियों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर समीक्षा की जाये। निरीक्षण अधिकारी भी वार्षिक कार्ययोजना कियान्विति की प्रगति की समीक्षा करें।

2.7 विद्यालय समन्वयन से पूर्व जिन विद्यालयों में सीसीई लागू थी उन विद्यालयों में समन्वय के पश्चात भी सीसीई कार्यक्रम लागू रहेगा। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करते हुए निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देवें:–

(i) सीसीई विद्यालयों में मूल्यांकन हेतु कक्षा 2 तथा ऊपर आधार रेखा मूल्यांकन के माध्यमिक से विद्यार्थियों का स्तर निर्धारण किया जाये तथा शिक्षण कार्य हेतु विद्यार्थियों के उप समूहों का निर्माण किया जाये। प्रत्येक कक्षा तथा विषय के अधिगत उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्र को ढाई–ढाई माह के चार टर्म में विभाजित किया जाये।

(ii) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए शिक्षण की योजना तैयार की जायेगी तथा सतत् अवलोकन के आधार पर विद्यार्थियो की प्रगति का निरंतर आंकलन कर प्रत्येक माह के अन्त में प्रगति को उपसमूह वार समेकित रूप से दर्ज किया जाये।

(iii) पाठयक्रमीय लक्ष्यों में मूल्यांकन की विविध तकनीकों एवं उपलब्धि स्तर के परीक्षण द्वारा निश्चित अवधि के अन्त में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन कर योगात्मक मूल्यांकन किया जाये। वर्ष में कुल चार बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाये।

(iv) चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन के उपरान्त 1 मई से 15 मई तक की अवधि में अपेक्षा अनुरूप उपलब्धि न होने पर संबंधित अधिगम क्षेत्र में सुदृढीकरण का कार्य किया जाये।

(v) सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को तीन ग्रेड्स (A,B,C) के द्वारा निम्नानुसार दर्ज किया जायेगा।

A स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता (अग्रिम स्तर की समझ)

B शिक्षक की मदद से काम करने की स्थिति (मध्यम स्तर)

C शिक्षक की विशेष मदद से काम करने की स्थिति (आरम्भिक स्तर की समझ)

2.8 शाला प्रधान 1 से 8 तक कक्षाओं में सर्वशिक्षा अभियान तथा कक्षा 9, 10/11 व 12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं को लागू करना सुनिश्चत करें।

2.9 शाला प्रधान विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को जीवन्त व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए समस्त अधीनस्थ अध्यापकों व कर्मचारियों के साथ माह में एक बार बैठक करें। यह बैठक पूर्णतया अकादमिक हो, जिसमे आपसी विचार विमर्श से कक्षा शिक्षण व अन्य शैक्षिक/सह शैक्षिक गतिविधियों मे यथा संभव सुधार किया जाये।

2.10 शाला प्रधान नियमानुसार अपने कक्षा अवलोकन कार्य करना सुनिश्चत करें तथा उसका रिकार्ड भी संधारित करें तथा शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करे।

2.11 शाला प्रधान को यदि लगे कि कोई शिक्षक अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभा रहा है तो उन्हें उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु प्रेरित किया जावें।

2.12 पुस्तकालय, वाचनालय तथा आई.सी.टी. लैब का प्रभावी उपयोग कर विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।

2.13 विद्यालयों में पुस्तकालय का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय विभाग चक्र में पुस्तकालय हेतु कालांश आवंटित किया जावें।

2.14 समन्वित विद्यालयों में छात्रों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित किया जावें तथा संस्था प्रधान कक्षा–01 से 05 हेतु न्यूनतम 150 छात्र, कक्षा–06 से 08 तक न्यूनतम 115 छात्र तथा कक्षा–09 से 12 में प्रत्येक कक्षा में 40 से 60 विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें जिससे की कक्षा–01 से 10 की छात्र संख्या 400 तथा कक्षा–01 से 12 की छात्र संख्या 500 हो, ऐसा प्रयास सभी संस्था प्रधान सुनिश्चित करें।

2.15 छात्र सुविधा के दृष्टिकोण से विद्यालय का संचालन एक से अधिक विद्यालय भवनों में भी जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा किन्तु यह संख्या अधिकतम 2 विद्यालय भवनों में संचालन किये जाने तक अनुमत होगी। इन विद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ–साथ प्रभावी संचालन का समस्त दायित्व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान का होगा।

2.16 जिन विद्यालयों में कक्षा–01 से 12 तक संचालित की जानी है, उनमें विद्यालय के सुसंचालन की दृष्टि से कक्षा 01 से 08 तक के लिए वरिष्ठतम व्याख्याता को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार दिया जावे तथा जिन विद्यालयों में कक्षा 01 से 10 तक संचालित की जानी है, उनमे विद्यालय के सुसंचालन की दृष्टि से कक्षा 01 से 05 तक के लिए वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक को प्रभारी (हैड टीचर) का प्रभार दिया जावे।

2.17 ऐसे समन्वित विद्यालय जिन्हे एक से अधिक भवनों में संचालित किया जा रहा है उनमें पृथक भवन में संचालित कक्षाओं के लिए भी कक्षा स्तर के अनुरूप बिन्दु संख्या 2.16 के अनुसार प्रभार दिया जाये।

2.18 विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धतानुसार अध्यापक/वरिष्ठ व व्याख्याताओं से माध्यमिक/प्रारम्भिक स्तर की कक्षाओं का अध्यापन कराया जा सकेगा। उदाहरणार्थ शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में वरिष्ठ अध्यापक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं को तथा अध्यापक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं के साथ–साथ माध्यमिक कक्षाओं को शिक्षण कार्य करा सकेगें। इसी प्रकार व्याख्याताओं से भी माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

2.19 संस्था प्रधान विद्यालय से संबंधित सभी दस्तावेजों का समय पर संधारण करवायेंगे।

3 शिक्षण कार्य को गुणात्मक एवं प्रभावी बनाना–

3.1 शाला प्रधान विद्यार्थियों के गृहकार्य की ओर विशेष ध्यान देवें। इस हेतु शिक्षको को नियमित गृहकार्य देने के लिए निर्देशित करें। साथ ही कक्षा अवलोकन के दौरान स्वयं गृहकार्य की जाच करें। माह की समाप्ति पर संबंधित अध्यापक अपनी दैनिक दैनन्दिनी में माह की समेकित (गोश्वारा) सूचना सारांश रूप में अंकित करेगें ताकि आलोच्य माह में अध्यापक की अध्यापन दिवसों की सुनिश्चिता की जा सके। इस हेतु समेकित सूचना (गोश्वारा) में माह में कुल दिवस, शैक्षिक कार्य दिवस, गैर शैक्षिक कार्य दिवस, अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश का भी अंकन किया जा सकेगा।

3.2 विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में गृह कार्य दिया जाये तथा उसकी जांच लाल स्याही के पेन से भली प्रकार कर अध्यापक द्वारा कॉपी में हस्ताक्षर मय दिनांक किये जाये। गृहकार्य में जो त्रुटियां आये उसके सुधार हेतु विद्यार्थी को त्रुटी सुधार कार्य पृथक से दिया जाये तथा इसकी जांच भी की जावे।

3.3 विद्यार्थियों हेतु आयोजित परीक्षा/परखों के जो भी टेस्ट वर्तमान में हो रहे है उनके परिणाम से शिक्षक–अभिभावक बैठक में अभिभावक को अवगत कराया जाये। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा परीक्षा/परखो की प्रगति रिपोर्ट संबंधित विद्यार्थी के साथ अभिभावक को अवलोकन एवं हस्ताक्षर हेतु आवश्यक रूप से भिजवाई जाये।

3.4 प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए संस्था प्रधान उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षाओं का आयोजन कर प्रगति में सुधार लायेगें। इस हेतु विभाग द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रमों का भी समावेश कर सकेगें।

3.5 विद्यालय में सामान्य ज्ञान हेतु उपलब्ध चॉर्ट एवं अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का यथा स्थान प्रदर्शन किया जाये। इस क्रम में चार्ट विद्यालय के बरामदें में टांगे जाने तथा सायंकाल वापिस उतारे जाने की व्यवस्था आकर्षक कदम होगा क्योंकि विद्यार्थी चार्ट के आधार पर भी अपने ज्ञान में उत्सुकता के आधार पर बढ़ोतरी कर सकेगें।

3.6 प्रार्थना सभा में प्रार्थना, समूह गान, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, सूर्य नमस्कार, ध्यान, समाचार पत्रों का वाचन/विद्यार्थियों द्वारा उदबोधन आदि का समावेश किया जाये।

3.7 विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षकों द्वारा खेलकूद, व्यायाम, योग, अनुशासन, विद्यार्थियों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में संस्था प्रधान के नेतृत्व में योजनानुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगें।

4. सामुदायिक सहभागिता–

4.1 प्रत्येक विद्यालय में शाला विकास प्रबन्ध समिति एवं शाला प्रबन्ध समिति का गठन किया हुआ है। उक्त दोनों समितियों की साधारण सभा की बैठक नियमित रूप से प्रति तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से कर इसमें विद्यालय के नामांकन विशेष तौर पर बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा की जाए। विद्यालय के पास उपलब्ध आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों पर चर्चा कर इसमें आवश्यक सहयोग लेने हेतु भी समिति के सदस्यों को प्रेरित किया जाए।

4.2 प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस के दिन संस्था प्रधान शिक्षक अभिभावक परिषद् की (PTA) बैठक आयोजित करें तथा इसमें संस्था प्रधान का यह प्रयास हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अभिभावक उपस्थित हो तथा उन्हें शाला की शैक्षणिक स्थिति तथा विद्यार्थियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी जाये तथा कमजोर विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति के लिए पृथक से अतिरिक्त प्रयास किये जाये, इस बैठक में शाला के शैक्षिणिक, सहशैक्षणिक, गतिविधियों के प्रभावी आयोजन व अनुशासन पर विशेष चर्चा की जाये तथा इसका अभिलेख भी संधारित किया जाये।

5. विद्यालय का भौतिक विकास –

5.1 समन्वित विद्यालयों में सम्मिलित विद्यालयों की समस्त परिसम्पितियां यथा– भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण एवं अन्य समस्त अभिलेख समन्वित विद्यालय के अधीन स्वतः ही आ गए है।

5.2 शाला की परिसम्पतियो का उपयोग करने के संबंध में सबसे पहले संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जो स्थायी सम्पति शाला में विद्यार्थी संख्या बढ़ने, अतिरिक्त संकाय खुलने पर भविष्य में उपयोग में आ सकती है तो ऐसी सम्पतियों को अन्य उपयोग के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जाये।

5.3 संस्था प्रधान जब यह सुनिश्चित कर ले कि जो भवन एवं भूमि भविष्य में भी शाला के काम में नही आयेंगे तो ऐसी स्थिति में इन भवन एवं भूमि का उपयोग निम्न प्रकार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा :–

(i) अध्यापकों/शिक्षा विभाग के कार्मिको के आवास हेतु प्रथम प्राथमिकता
(ii) आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पंचायत भवन/पटवार घर आदि का संचालन हेतु
(iii) अन्य विभागों के कार्मिकों को आवास हेतु
(iv) स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि हेतु।

5.4 **किराये का निर्धारण एंव प्राप्त राशि का उपयोग**

(i) शिक्षकों/कार्मिकों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें मकान किराये भत्ते के रूप में वेतन के साथ मिलने वाली राशि ही किराये की राशि होगी, जिसे शाला विकास समिति के खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी।

(ii) भवन का उपयोग आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पंचायत भवन/पटवार घर स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि के लिये राशि शाला विकास कोष समिति (SDMC) द्वारा तय की गई राशि होगी।

(iii) भवन के अन्य उपयोग हेतु शाला विकास कोष एवं प्रबंध समिति (SDMC) से प्रस्ताव पारित करने पश्चात् ही उक्त कार्यवाही सम्पादित की जावे तथा इसमें पूर्णतः पारदर्शिता रखी जावें।

(iv) किराया राशि का उपयोग विद्यालय एवं इन्ही भवनों के रख–रखाव हेतु किया जा सकेगा।

(v) बिजली पानी आदि के संबंध में किया जाने वाला व्यय संबंधित शिक्षक/कार्मिक/किराये पर लेने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

5.5 जिन समन्वित विद्यालयों के पास कम भौतिक व मानवीय संसाधन है उनमें प्रथम चरण में भामाशाहों को चिन्हित कर शाला को गोद दिया जाये और चरणबद्ध तरीके से इन सभी विद्यालय को गोद दिये

जाने का प्रयास करे, जिससे समाज, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, जिला–प्रशासन, स्थानीय निकाय प्रशासन तथा भामाशाहों का जुड़ाव इन विद्यालयों से हो सकें।

5.6 विद्यालय के भौतिक विकास हेतु शाला प्रधान सजग रहें। विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार कमरे, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेलने का स्थान, उपकरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों हेतु जनसहयोग, सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से सम्पर्क कर समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2 निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
3 समस्त जिला कलक्टर
4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर
5 समस्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
6 अतिरिक्त आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर
7 अतिरिक्त आयुक्त, रमसा, जयपुर
8 विशेषाधिकारी–शिक्षा, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 4(6)शिक्षा–1/2014 जयपुर दिनांक 11.02.2015 के क्रम में।
9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्या. हाजा. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
10. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)
11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम व द्वितीय को भेजकर लेख है कि अपने अधीन विद्यालयों में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें तथा आगामी वाक्पीत माह फरवरी 2015 में संस्था प्रधानों को इसकी प्रति भी अपने स्तर पर उपलब्ध करावें।
12 वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को माह फरवरी 2015 के अंक में प्रकाशन बाबत।
13 सम्भागीय प्रभारी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Grade-Level, District and Year wise Current Enrolment and Minimum Growth Target of Enrolment for Adarsh schools

District	Current Enrolment					Target Enrollment 2015-16					Target Enrollment 2016-17					Target Enrollment 2017-18				
	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10	Class 11-12	Total Enr	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10	Class 11-12	Total Enr	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10	Class 11-12	Total Enr	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10	Class 11-12	Total Enr
Ajmer	31180	25246	25750	11971	94147	35962	27762	27800	17904	109428	40744	30279	29849	23838	124710	45526	32795	31899	29771	139991
Alwar	42679	34425	37763	21494	136361	53368	41305	43291	29972	167935	64056	48184	48819	38450	199510	74745	55064	54347	46928	231084
Banswara	37675	41927	44386	22963	146951	42820	43347	45403	30378	161948	47965	44768	46419	37794	176946	53110	46188	47436	45209	191943
Baran	20769	16615	14282	4296	55962	25082	19160	17145	10131	71518	29394	21706	20007	15967	87074	33707	24251	22870	21802	102630
Barmer	46508	40086	36200	15574	138368	55087	44834	40217	24795	164933	63665	49582	44235	34016	191498	72244	54330	48252	43237	218063
Bharatpur	33268	24111	21687	10440	89506	41225	29409	27429	18918	116981	49181	34707	33171	27397	144456	57138	40005	38913	35875	171931
Bhilwara	35121	31884	33988	13977	114970	42989	35755	37211	23288	139243	50856	39626	40435	32598	163515	58724	43497	43658	41909	187788
Bikaner	30653	23965	19175	6131	79924	35273	26709	21770	11281	95033	39893	29454	24364	16430	110141	44513	32198	26959	21580	125250
Bundi	10936	14142	16393	6115	47586	16185	16154	18012	10487	60838	21433	18166	19631	14859	74089	26682	20178	21250	19231	87341
Chittorgarh	20888	18603	21147	8541	69179	27699	22641	24323	15832	90495	34510	26678	27499	23124	111811	41321	30716	30675	30415	133127
Churu	22181	16790	17991	9167	66129	26957	20327	20947	13077	81307	31734	23863	23902	16986	96486	36510	27400	26858	20896	111664
Dausa	17089	17293	21225	13105	68712	22659	20060	23424	16810	82953	28229	22827	25622	20515	97193	33799	25594	27821	24220	111434
Dholpur	21597	16962	15062	5916	59537	23804	18286	16664	9482	68236	26011	19611	18266	13047	76935	28218	20935	19868	16613	85634
Dungarpur	17983	31686	38674	19933	108276	23158	33012	39202	24897	120269	28333	34338	39731	29860	132262	33508	35664	40259	34824	144255
Hanumangarh	21986	20726	18696	8109	69517	27171	23200	21312	12244	83928	32356	25675	23929	16380	98339	37541	28149	26545	20515	112750
Jaipur	29803	35020	42638	28601	136062	44272	42499	47505	34837	169113	58741	49978	52373	41073	202165	73210	57457	57240	47309	235216
Jaisalmer	3236	8120	5982	2166	19504	8338	10316	8337	5765	32756	13439	12512	10692	9364	46007	18541	14708	13047	12963	59259
Jalore	26944	22905	24847	7371	82067	32034	25588	27029	13938	98589	37124	28270	29210	20506	115110	42214	30953	31392	27073	131632
Jhalawar	24987	19425	20847	9273	74532	29712	22237	23503	15632	91083	34436	25048	26158	21991	107634	39161	27860	28814	28350	124185
Jhujhunu	13068	14238	17051	12889	57246	23382	20035	21564	16802	81784	33697	25832	26077	20716	106321	44011	31629	30590	24629	130859
Jodhpur	36188	31405	31534	14868	113995	43342	37128	35114	21679	137263	50497	42852	38693	28490	160532	57651	48575	42273	35301	183800
Karoli	19007	16384	15684	6810	57885	23983	19176	18542	11665	73366	28960	21967	21401	16520	88848	33936	24759	24259	21375	104329
Kota	10806	9863	12213	5097	37979	14116	12076	13922	9013	49127	17426	14289	15631	12928	60274	20736	16502	17340	16844	71422
Nagaur	41626	29251	28807	14612	114296	51077	36087	35279	24480	146923	60527	42923	41752	34348	179550	69978	49759	48224	44216	212177
Pali	29041	23692	30381	12023	95137	35609	27596	33031	19517	115753	42177	31499	35680	27012	136368	48745	35403	38330	34506	156984
Pratapgarh	15201	17051	18283	6543	57078	18531	18036	19065	10334	65967	21862	19022	19847	14125	74855	25192	20007	20629	17916	83744
Rajsamand	18923	20030	21460	7382	67795	23143	21699	22837	12209	79889	27362	23369	24215	17037	91982	31582	25038	25592	21864	104076
S.Madhopur	17337	13204	12592	6832	49965	21756	16064	15293	11315	64427	26174	18924	17994	15797	78890	30593	21784	20695	20280	93352
Sikar	21573	20601	24307	17938	84419	30659	25861	28279	21723	106522	39744	31121	32251	25509	128625	48830	36381	36223	29294	150728
Sirohi	17809	16361	15389	5165	54724	20497	17552	16500	8902	63450	23186	18742	17610	12638	72177	25874	19933	18721	16375	80903
Sriganganagar	22697	21272	18130	6232	68331	31171	26078	23247	13926	94421	39644	30883	28363	21621	120512	48118	35689	33480	29315	146602
Tonk	14194	13337	17771	9615	54917	20831	17004	20176	14629	72641	27469	20672	22581	19644	90365	34106	24339	24986	24658	108089
Udaipur	33763	46068	45853	19484	145168	45286	51374	49665	31034	177359	56809	56679	53477	42584	209549	68332	61985	57289	54134	241740

परिशिष्ट-07

(53)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः–6 (27)प्र.सु./ग्रुप–3/ 2015 जयपुर दिनांक– 15/4/2015

आदेश

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एव पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर निष्पादक समिति का गठन निम्नानुसार एतद्द्वारा किया जाता है :–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	सदस्य
3.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4.	उप निदेशक, समेंकित बाल विकास सवाऐं (ICDS)	सदस्य
5.	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य
8.	दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (जिसमें कम से कम एक महिला हो) जिसको जिला कलक्टर द्वारा 2 वर्ष के रोटेशन पर नामित किया जावेगा	सदस्य
9.	शिक्षक संघ के दो सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित) जिसमें कम से कम एक महिला हो	सदस्य
10.	स्वैच्छिक सस्था का सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित)	सदस्य
11.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
12.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)द्वितीय	सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से संचालित निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्येवेक्षण की कार्यवाही करेगी :–

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), ICT @School, शारदे बालिका छात्रावास, IEDSS, व्यावसायिक शिक्षा, पंचायत समिति स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य योजनाएं ।
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा सं. 97 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना।

समिति का प्रशासनिक विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग होगा।

महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से

(रमेश चन्द भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमशः 2.....

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
3. माननीय मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
13. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
14. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
15. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग।
16. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
17. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
18. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
20. क्षेत्रिय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
21. रक्षित पत्रावली।

15/4/15

अनुभागाधिकारी

परिशिष्ट- (8)

55

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक:शिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांक: 21 जनवरी,.2015

आदेश

1. राज्य सरकार के पत्र कमांक:प.19(45) शिक्षा–6 / 97 दिनांक 22.04.99 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत वर्तमान में "**विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति**" (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य सचिव के रूप में नीमित है।

गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन बाबत प्रावधान है।

2. इसी कम में राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 संचालित है में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधानानुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जरिये आदेश कमांक: F.21(19)Edu-I/E.E./2009 दिनांक 10.05.2011 "**विद्यालय प्रबन्धन समिति**"(SMC) के गठन बाबत आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति की साधारण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से निर्वाचित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में से किया जायेगा।

समिति के सदस्य सचिव संबंधित विद्यालय का संस्था प्रधान तथा संस्था प्रधान के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक होगा।

गठित समिति के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 14 में अध्यक्ष के कार्य के संबंध में विवरण निम्न प्रकार अंकित है:–

नियम 14–1(6):–आय व्यय पर नियन्त्रण रखना, केशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।

3. शासन द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राजकीय प्राथमिक / राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशन कर सम्बन्धित विद्यालय बनाकर एक ही संस्था प्रधान प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधीन रखे गये है। बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार समितियों का गठन है:–

(क) कक्षा 1 से 8 के लिए "**विद्यालय प्रबन्धन समिति**"(SMC) एवं

(ख) कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए "**विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति**" (SDMC)

4. **विद्यालय प्रबन्धन समिति**"(SMC) में कक्षा 1 से 8 में मिड–डे–मील, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित विभिन्न मदों की राशि तथा **विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध** समिति में कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर से विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि अन्तरित की जाती है।

5. दिनांक 17 जनवरी 2015 को शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अतिरक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि "जिन विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त है तथा उन विद्यालयों के आहरण–वितरण के अधिकारी किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा–संस्था प्रधान/व्याख्याता–स्कूल शिक्षा को दिये हुए हैं तो वे राजकीय कोष कार्यालय संबंधी आहरण–वितरण के कार्य कर रहे है लेकिन SMC और SDMC छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य नहीं कर रहे हैं।

उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लिया गया है कि समान्य वित्तीय एव लेखा नियम 03(क) के अनुरूप अधिकृत किसी अन्य विद्यालय के राजपत्रित यथा–संस्था प्रधान/व्याख्याता–स्कूल शिक्षा द्वारा ही SMC और SDMC छात्र निधि कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि का आहरण वितरण करने के लिए अधिकृत होंगे।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. अतिरिक्त परियोजना आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त उप निदेशक–माध्यमिक शिक्षा
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा
10. वरिष्ठ सम्पादक"शिविरा", कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

परिशिष्ट 9 (2)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांकः–27.02.2015

:: आदेश :

निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.1.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड–डे मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा–जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व आदेशानुसार ही होगा।

माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, विद्यालय भवन के विकास करने सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) द्वारा किये जायेंगे, साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन / लेखा जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति(SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व निम्न प्रकार है–

(अ) School Development and Management Committee (SDMC) की सरंचना

(RMSA गाइडलाइन के अनुसार School Management and Development Committee)

1.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	अभिभावकों में से एससी / एसटी समुदाय का एक व्यक्ति	सदस्य
3	अभिभावकों में से एक महिला	सदस्य
4	अभिभावकों में से एक व्यक्ति	सदस्य
5	सामाजिक विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
6.	विज्ञान का एक अध्यापक	1 सदस्य
7	गणित का एक अध्यापक	1 सदस्य
8	पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य	2 सदस्य
9	(ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक) *	1 सदस्य
10	~~शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति~~	1 सदस्य
11	महिला समूहों का सदस्य	1 सदस्य
12	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य / शिक्षा विद्	1 सदस्य
13	विज्ञान, मानविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला ~~परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति~~)	3 सदस्य
14	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	1 सदस्य
15	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	सदस्य सचिव

* विद्यालय द्वारा नोन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जावे।

SDMC के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(1) विद्यालय की "विद्यालय सुधार योजना" तैयार करना।

(2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्न उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना:–

(i) कक्षा 9–10 का सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक 90% तक लाना।

(ii) कक्षा 11 एवं 12 की सकल नामांकन दर सत्र 2017 तक 65% तक लाना।

(iii) माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 25% से नीचे लाना।

(iv) विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास, विद्यालय में आईसीटी का उपयोग, समुदाय की सहभागिता आदि सुनिश्चित करना।

(3) समिति द्वारा आरएमएसए के खाते में प्राप्त राशि का रिकार्ड संधारण करना।

(4) समिति अपने कोष का उपयोग रैकरिंग एवं नॉन रैकरिंग मदों में कर सकेगी।

(5) समिति भारत सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।

(6) समिति द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिये रागी गतिविधियों की योजना बनाना, यू–डाइस का डेटा एकत्रित करना, योजना की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग आदि का कार्य करेगी

(7) विद्यालय स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य, तथा शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु संबंधित सभी कार्य करेगी

(8) कमेटी की प्रत्येक मीटिंग में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जायेगा।

(9) समिति सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना नियमित रूप से ब्लॉक व जिले के अधिकारियों को प्रेषित करेगी।

(10) समिति की पाक्षिक बैठक रखी जायेगी।

(11) समिति की मीटिंग हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को लिखित में सूचित किया जावेगा।

(12) बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेनदेन नहीं किया जायेगा।

नोटः–राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एसएमसी का राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय,(प्रारम्भिक शिक्षा अनुभाग) के नाम से पुर्नगठन कर बैंक में विद्यालय का नाम संशोधित कराया जायेगा। SMC के कार्य एवं दायित्व पूर्वानुसार ही होंगे।

(ब) विद्यालय भवन उप समिति(School Building Commitee) की सरंचना

1.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक	– अध्यक्ष
2.	पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि	– 1 सदस्य
3	अभिभावक	– 1 सदस्य
4.	निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति(JEN,RMSA/SSA)	– 1 सदस्य
5.	(लेखा / ऑडिट शाखा का व्यक्ति) (संस्था का लेखा कार्मिक) *	– 1 सदस्य
6.	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मा.वि में)	–सदस्य सचिव

* विद्यालय द्वारा नॉन रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ / डीपीसी कार्यालय के लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जावे।

भवन उप समिति के कार्य:–भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, उनके प्रबन्ध संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होगी जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जायेगी।

यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करा सकेगी अथवा स्वयं करा सकेगी।

(स) शैक्षिक उप समिति(School Academic Commitee) की सरंचना

1.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक	– अध्यक्ष
2.	अभिभावक	– 1 सदस्य
3.	निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ– (1)विज्ञान या गणित, (2)मानविकी, (3)कला / संस्कृति / क्राफ्ट / खेलकूद आदि प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ	– 3 सदस्य
4.	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित विद्यार्थी	– 1 सदस्य
5.	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (वरिष्ठतम व्याख्याता, उमावि में / वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	–सदस्य सचिव

शैक्षिक उप समिति के कार्य:–

(i) शैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन

(ii) शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्टस की समीक्षा एवं सुझावों को परीक्षण पश्चात आगामी कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु अनुशंषा।

(iii) शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण एव क्रियान्वयन

(iv) शैक्षिक समंकों का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में संबलन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करना।

(v) मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टस की समीक्षा एवं फॉलोअप कार्यवाही हेतु सुझाव

वर्णित आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांकःप. 17(4) शिक्षा–1/2014 जयपुर दिनांक 26.02.2015 के अनुसरण में जारी किये जाते है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. अतिरिक्त आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु
8. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
10. वरिष्ट सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

परिशिष्ट 10

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 22(6)शिक्षा–1/2002 जयपुर, दिनांकः 30-05-15

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग के आदेश क्रमांकः प. 6(13)प्र.सु./अनु–3/2014 दिनांकः 28.05.2014 एवं 23.12.2014 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंषानुसार उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारणः–

1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारणः–

1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) **कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड**

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–12)	कला संकाय (कुल सेक्शन–12)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–12)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II– 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय –3) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित,विज्ञान एव तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (सामा.विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–02 (हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**

(ii) **कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड**

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–7)	कला संकाय (कुल सेक्शन–7)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–7)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 3) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–03 (हिन्दी,अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 4 (सामा0 विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल–2–02 (हिन्दी,अंग्रेजी,) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–12**

(iii) **कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड**

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–4)	कला संकाय (कुल सेक्शन–4)	वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–4)
• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II –01 **कुल शिक्षक–9**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 3 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–9**	• प्रधानाचार्य – 1 • व्याख्याता –5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 3) • वरिष्ठ अध्यापक– 4 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा, सा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–10**

1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.1.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का

होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.1.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहॉ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.1.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.1.9 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.2 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारण:–

1.2.1 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय मे नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–14)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित / विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी,विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1–02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी,विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II– 01 **कुल शिक्षक–17**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–9)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी,अंग्रेजी विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II– 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (सामा.विज्ञान,गणित, एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2– 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2–03 (हिन्दी, अंग्रेजी,सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II–01 **कुल शिक्षक–15**

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–6)	विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)	कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)
• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 06) • वरिष्ठ अध्यापक–03 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II– 01 **कुल शिक्षक–12**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 01 • व्याख्याता –08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय 06) • वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी / अंग्रेजी विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**

1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.2.7 कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.2.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

1.3. तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डो का निर्धारणः–

1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)	
• प्रधानाचार्य – 01	
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)	
• वरिष्ठ अध्यापक–04	(गणित, तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी)
• अध्यापक लेवल 2– 02	(विज्ञान,सामा.विज्ञान)
• अध्यापक लेवल 1 – 02	
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01	
कुल शिक्षक–20	

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–11)	
• प्रधानाचार्य – 01	
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)	
• वरिष्ठ अध्यापक–04	(गणित,तृतीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी)
• अध्यापक लेवल 2– 02	(विज्ञान,सामा.विज्ञान)
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01	
कुल शिक्षक–18	

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–11)
• प्रधानाचार्य – 01
• व्याख्याता –11 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय– 09)
• वरिष्ठ अध्यापक–04 (हिन्दी, अंग्रेजी तृतीय भाषा, गणित)
• शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**

1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.3.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर व्याख्याता गणित का पद दिया जायेगा।

1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ एक व्याख्याता कृषि का भी देय होगा।

1.3.7 कक्षा 11–12 का नामांकन 360 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर 1 अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.8 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.9 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

1.3.10 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे :–

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

2. माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदंड

2.1 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे

(i) कक्षा 1 से 10 तक संचालित माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

- प्रधानाध्यापक – 01
- वरिष्ठ अध्यापक– 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा)
- अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, अंग्रेजी)
- अध्यापक लेवल 1 – 02
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III – 01

कुल शिक्षक–11

(ii) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–6 से 10) (कुल सेक्शन–05)

- प्रधानाध्यापक – 01
- वरिष्ठ अध्यापक – 06 (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा
- अध्यापक लेबल 2 – 01 (गणित / विज्ञान)
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड II/III – 01

कुल शिक्षक–08

2.2 कक्षा 9–10 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.3 कक्षा 6–8 का नामांकन 105 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक लेवल–2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन कर दिया जा सकेगा।

2.4 कक्षा 1 से 5 का नामांकन 60 से अधिक होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त अध्यापक देय होंगे -

नामांकन	मानदण्ड
61–200	(i)प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक
	(ii)नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु
200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक

3 मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान

3.1 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.2 विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जावेगा।

3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 व 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.4 अध्यापक लेवल–2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 6–8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1–5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

3.5 अध्यापक लेवल–1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.6 उपरोक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जावेंगे।

3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला / वाणिज्य संकायों में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित संकाय में कक्षा 11–12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोला जावेगा।

3.8 यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला / वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय है एवं कक्षा 11–12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में

उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चालू रहेगाा तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को बंद कर दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जावेगा।

अपवाद – यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी,उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षों तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बन्द किया जावेगा।

3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहॉ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक व्याख्याता कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जावेगा।

3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयध्यक्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जा जायेगा। पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड–प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जावेगी।

3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद, 251 से 750 नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।

3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे; उदारणार्थ :– एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 से 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3.13 कक्षा 6 से 12 में 200 तक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक/शिक्षक ही पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

3.14 जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत है, ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा मे 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त है, तो

4. मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड

4.1 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 10)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
माध्यमिक (6 से 10 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101–500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501–1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

विद्यालय का स्तर	नामांकन (6 से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /प्रयोगशाला सेवक
उच्च माध्यमिक (6 से 12 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	LDC-1	IV Class-1
	101–500 तक	LDC-1 UDC/OA-1	IV Class-2
	501–1000 तक	LDC-1 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-4
	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	IV Class/ Jamadar-5

4.2 वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों में कमी अथवा वृद्धि कनिष्ठ लिपिक के पदों में ही की जावेगी। इसी प्रकार जमादार के कुल स्वीकृत पदों में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा, पदों में कमी अथवा वृद्धि चतुर्थ श्रेणी के पदों में ही की जावेगी।

4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे।

5. मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया

5.1 मानदंडानुसार विद्यालय में पदों का निर्धारण उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :–

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य सचिव
4. उपनिदेशक, माध्यमिक द्वारा मनोनीत दो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से)	सदस्य

5.2 समिति की अभिशंषा पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुगति प्राप्त की जावेगी।

5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदो की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक/कार्मिक को विषयवार/संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार पदों के पुनःनिर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2015–16 में एवं तत्पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितंबर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा। उदाहरणार्थ :– वर्ष 15–16 के पदों के पुर्ननिर्धारण हेतु 30 सितंबर 2014 के नामांकन को आधार माना जावेगा।

6 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन

(वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)

6.1 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।

6.2 इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 80 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर व्याख्याता के पद दिये जायेंगे।

6.3 नवकमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।

6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दू संख्या 3.10 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जावेगा।

6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जावेंगे शेष पद बिन्दु संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।

6.6 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिकमण में जारी किये जाते है।

आज्ञा से,

30/4/15

(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
02. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।.
05. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि सत्र 2015–16 से उपरोक्तानुसार पद निर्धारित करने की कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
07. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
08. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय।
12. रक्षित पत्रावली।

30/4/15

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-II

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–उनि/सशि/एसआईक्यूई/2015-16/65 दिनांक 01.05.2015

समस्त मण्डल उपनिदेशक–माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वय–माध्यमिक
समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
आरएमएसए।

विषयः–एस.आई.क्यू.ई. परियोजना के संचालन हेतु गाइड लाईन।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र–रामाशिप/जय/एसआईक्यूई/फा 60703/2015/11536 दिनांक 30.4.2015 द्वारा विषयान्तर्गत सलंग्न अनुसार गाईड लाईन जारी की जाती है।

उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभागीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि गाईड लाईन की अपने क्षेत्र में कियाविन्ति सुनिश्चित की जावे। उचित होगा कि दिनांक 6.5.2015 को जिला स्तर पर आयोजित समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला में भी इस बाबत जानकारी उपलब्ध करवायी जावे।

जारी की गयी गाईड लाईन विभागीय वैब साईट http:// WWW.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

सलंग्नः–1.गाईड लाईन–07 पृष्ठ
2. बिन्दु सं.2 के अनुसार(07 पृष्ठ)

(सुवालाल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव–माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक–आयुक्त , रामाशिप–जयपुर।
3. निजी सहायक–आयुक्त, राप्रशिप–जयपुर।
4. निजी सहायक–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
5. निदेशक, एस.आई.ई.आर. टी. उदयपुर।
6. यूनीसेफ, जयपुर।
7. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग , कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक एवं नोडल प्रभारी
(समाज शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– उनि / सशि / SIQE / डीसीजी / 2015–16 / 66 दिनांक 01·05·2015

State Initiative for Quality Education : (SIQE)

कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा – निर्देश

राज्य में संचालित, समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 तक) में कक्षा 1 से 5 तक में, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से,''स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन' परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

1. परियोजना के उद्देश्य :–

1.1 राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्वि सुनिश्चित करना।

1.2 बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (Child Centered Pedagogy)तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना।

1.3 प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की Transition Rate में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना।

1.4 विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का, उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप, शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना।

1.5 विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों का क्षमतावर्धन करना।

1.6 विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रराम्भिक शिक्षा को अकादमिक सहयोग कर्त्ता के रूप में तैयार करना।

1.7 जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादिमक समूहों को तैयार करना एवं क्षमता वर्धन करना।

2 परियोजना का संचालन –

परियोजना संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है।

2.1 राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए **प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी(Programme Steering Committee)**
(समिति गठन आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।)

2.2 परियोजना गतिविधियों की नियमित कियान्विति सुनिश्चित करने के लिए **राज्यकार्यकारी समूह(State Working Group)**
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।)

2.3 परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए **राज्य शैक्षिक समूह** (State Academic Group)
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।)

2.4 जिला स्तर परकार्यक्रम के क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग के लिये **जिला कोर ग्रुप**
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।)

3 परियोजना का क्रियान्वयन–

3.1 परियोजना का संचालन **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** द्वारा किया जायेगा।

3.2 शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर** के माध्यम से किया जायेगा।

3.3 समस्त अकादमिक कार्य एसआईईआरटी, उदयपुर, राजस्थान द्वारा किया जायेगा।

3.4 परियोजना का संचालन **यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन** से किया जायेगा।

3.5 जिला स्तरीय संस्थानों को सहयोग देने के लिए यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से, प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता (District Support Fellow)उपलब्ध करवाया जाएगा। D.S.F. कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करेगा।

4 परियोजना संचालन हेतु दिशा निर्देश –

ये दिशा निर्देश **'एसआईक्यूई निर्देश ' के** नाम से जाने जायेगें तथा शैक्षिक सत्र 2015–16 से प्रभावी होगें

4.1 जिला कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह आवश्यक रूप से की जाये।

4.2 SIQEपरियोजना के लिए मार्गदर्शिका, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन विधा / नियंमावली आवश्यक अभिलेख संधारण प्रपत्रों का प्रकाशन जिला स्तर पर किया जायेगा। अतः समस्त सामग्री सत्रारम्भ के पूर्व ही विद्यालयों में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य एवं अभिलेख संधारण परियोजना के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जाये।

4.4 शिक्षकों हेतु निर्देशः–

4.4.1 कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को चार टर्मों में विभक्त किया गया।

4.4.2 शिक्षण–सत्र को 2 माह 15 दिनों के **चार टर्म** में विभाजित किया गया है। **प्रथम–टर्म**; जुलाई से 15 सितम्बर तक तथा **द्वितीय–टर्म**; 16 सितम्बर से 30

नवम्बर तक निर्धारित किया गया है। **तीसरी** टर्म 1 दिसम्बर से 15 फरवरी व **चौथी टर्म** 16 फरवरी से 30 अप्रेल तक निर्धारित की है।

4.4.3 प्रत्येक टर्म अधिगम लक्ष्य आगे **चार भागों/खण्डों** में विभाजित हैं; प्रत्येक भाग पर कार्य करने के लिए लगभग 2 माह व 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अपेक्षा यह है कि ढ़ाई माह की अवधि में एक भाग को पूरा करने के लिए लगभग 55–60 कार्य–दिवस उपलब्ध हो सकेंगे।

4.4.4 यह टर्म अवधि एक तरह से एक योगात्मक आकलन की अवधि भी है। हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन करना होगा, जिसके बाद आगामी टर्म के उद्देश्य निर्धारित कर पहली की तरह ही कार्य करना होगा।

4.4.5 हर टर्म में दो बार रचनात्मक आकलन करना प्रस्तावित है। दो रचनात्मक आकलन व एक योगात्मक के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना भी प्रस्तावित है।

4.4.6 शिक्षक योजनानुसार निर्धारित टर्म के भाग/खण्ड–एक पर शिक्षण करते हुए अवलोकन–अभिलेखन, चैकलिस्ट, पोर्टफोलियो, होमवर्क, कार्यपत्रक, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का **सतत आकलन** करें।

4.4.7 आकलन प्रक्रिया से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिणामों के बारे में निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूहों/उपसमूहों के शिक्षण हेतु **पाक्षिक योजना** बनाए।

4.4.8 पाक्षिक योजनानुसार किए जाने वाले कार्य के दौरान किए गए आकलन के आधार पर **समीक्षा** करते हुए योजना में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती परिवर्तन करें। जिसे समीक्षा के साथ दर्ज़ किया जाना सुनिश्चित करें।

4.4.9 इस प्रक्रिया से कार्य करते हुए पाठ्यक्रम के प्रथम टर्म एक का कार्य दो माह में सम्पन्न किया जाए।

4.4.10 इस अवधि में किए गए सतत–आकलन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के संबंध में **प्रथम योगात्मक मूल्यांकन** किया जाए।

4.4.11 सभी विद्यार्थियों के योगात्मक मूल्यांकन को दर्ज़ करने का कार्य **10 से 20 सितम्बर** के मध्य सुनिश्चित किया जाए।

4.4.12 इसी प्रकार आगामी 2 माह में टर्म दो पर कार्य करते हुए निर्धारित अवधि (20 से 30 नवंबर) में प्रत्येक विद्यार्थी का **द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन** दर्ज़ किया जाए।

4.4.13 टर्म के अन्त में दिए गए विषय विशेष के संदर्भ में उच्च स्तरीय कौशल/सूचकों को उसी अवधि के दौरान चैकलिस्ट में बच्चों की निरन्तर हो रही प्रगति के आधार पर दर्शाया जाए।

4.4.14 इस प्रक्रिया से पाँच माह की अवधि में कार्य सम्पन्न करते हुए दो योगात्मक मूल्यांकन सम्पन्न होंगे। इसी तरह आगामी पाँच माह में (दिसम्बर से अप्रैल तक) अगली दोनों टर्मों पर शिक्षण कार्य एवं सतत मूल्यांकन किया जाए।

4.4.15 **तृतीय योगात्मक मूल्यांकन 10 से 20 फरवरी एवं चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन 15 से 25 अप्रैल के मध्य किया जाएगा।**

4.4.16 बच्चों की प्रगति को फार्मेटिव एवं समेटिव फार्मेट में दर्ज करने के लिए ग्रेड दिया जाना तय किया गया है। इसका आधार इस प्रकार है :–

A–स्वतंत्र रूप से कर लेता है / आगामी स्तर पर

B–शिक्षक की मदद से कर पाता है/मध्यम स्तर

C–विशेष मदद की आवश्यकता है/आरम्भिक स्तर

4.4.17 शिक्षक प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विद्यालय स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें और बैठक में अपने प्रश्नों, चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को लिखित में प्रधानाचार्य को अवगत कराएं।

4.4.18 प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विषयवार कार्यशालाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें।

4.4.19 पाठ्यक्रम, शिक्षण विधा, मूल्यांकन के तरीके और उपकरणों तथा सामग्री संधारण के संबंध में किसी भी प्रकार की समझ बनाने के लिए यथा शीघ्र सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करें।

4.5 प्रधानाचार्य हेतु दिशा निर्देशः–

4.5.1 **विद्यालय स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षाकों की व्यवस्था करना** – गुणवत्ता से संबंधित राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 में एक शिक्षक एक विषय का ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करे।

4.5.2 **विद्यालय में गतिविधि आधारित कार्यक्रम तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार कक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित करना** – प्रधानाचार्य शिक्षकों का उत्साहवर्धन करे और उन्हें समय–समय पर बताते रहे कि विद्यालय प्रशासन उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

4.5.3 प्रधानाचार्य नियमित रूप से कक्षा–अवलोकन करे एवं प्रथमदृष्टया बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं शिक्षण प्रक्रिया को देखे।

4.5.4 अवलोकन के पश्चात् ही प्रधानाचार्य नियमित रूप से प्रत्येक कक्षा के शिक्षक से पृथक–पृथक एवं सामूहिक संवाद करे और यह समझे की कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया और बच्चों के शैक्षिक स्तर में प्रगति की क्या स्थिति है। शिक्षकों को कक्षा–कक्ष में कार्य करने के दौरान किस तरह की चुनौतियां महसूस हो रही है।

4.5.5 प्रधानाचार्य यहां स्पष्ट समझ लें कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया संचालित करने का अर्थ फॉर्मेट भरना नहीं है। बच्चों की शैक्षिक प्रगति प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य है। अतः कक्षा अवलोकन में पहले कक्षा–कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का

वातावरण, बच्चों की भागीदारी तथा उनकी शैक्षिक प्रगति का अवलोकन करें और उसके बाद यह देखें की शिक्षक ने क्या तैयारी की थी? बच्चों की प्रगति को पाठ्यक्रम के अनुरूप सही दर्ज़ किया है? बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण योजना में बच्चों के शैक्षिक स्तर तथा पाठ्यस्तर के अनुरूप गतिविधियां शामिल की गई हैं?

4.5.6 प्रधानाचार्य प्रत्येक माह कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक करें एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करें।

4.5.7 शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौराना अनेक तरह की चुनौतियां आती हैं तथा प्रतिदिन नवीन अनुभव मिलते हैं अतः आवश्यक है कि शिक्षक को नियमित रूप से सहयोग एवं समीक्षा का अवसर मिले। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक शिक्षक प्रतिमाह होने वाली क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार मासिक कार्यशाला में भाग ले।

4.5.8 प्रधानाचार्य शिक्षकों से संवाद कर यह सुनिश्चित करे मासिक कार्यशाला में जाने वाले शिक्षक कार्यशाला के लिए तैयारी करके जाएं। इसके लिए शिक्षकों के पास अपने प्रश्न एवं अनुभव होने चाहिए। शिक्षक कार्यशाला में कम से कम दो या तीन बच्चों की संबंधित विषय की समस्त सामग्री लेकर जाए।

4.5.9 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे की कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री/स्टेशनरी शिक्षक के पास उपलब्ध है एवं उस सामग्री का समुचित उपयोग कक्षा में किया जा रहा है।

4.5.10 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय के कोई शिक्षक या शिक्षिका क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो नियमित रूप से प्रशिक्षक का कार्य करने के लिए उपलब्ध हों तथा जब वो प्रशिक्षण के कार्य के लिए बाहर हों तो विद्यालय के अन्य शिक्षक उनकी कक्षाओं में शिक्षण का कार्य तय योजनानुसार करवा रहे हों।

4.5.11 प्रधानाचार्य शिक्षकों के प्रश्नों एवं चुनौतियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समय–समय पर लिखित में अवगत कराए।

4.5.12 विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के संचालन में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में जिला स्तरीय समन्वयन समिति को लिखित में अवगत कराना सुनिश्चित करे।

4.5.13 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय में किसी शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया का श्रेष्ठ संचालन किया जा रहा है एवं बच्चों का शैक्षिक स्तर पाठ्यक्रम

में दिए गए कक्षा स्तर के अनुरूप है तो उस शिक्षक के बारे में अधिक से अधिक विद्यालयों को जानकारी हो।

4.5.14 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक उनके लिए दिए गए निर्देशों से भलीभांति परिचित हों।

4.6 सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) अपनी भूमिका का निर्वहन आवश्यक रूप से निर्धारित कलेंडर के अनुसार करें। डाइट हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एसआईईआरटी, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी किये जायेगें।

4.7 कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की जांच हेतु व्यवस्था निम्नानुसार होगी।

मूल्यांकन टर्म	कार्यक्रम विवरण	तिथि	उत्तरदायी इकाई	कार्य जिस अधिकारी / संस्था / व्यक्ति द्वारा किया जानाहै।
बेसलाइन	बेसलाइन	6से15 जुलाई 2015	विद्यालय	शिक्षक
	रिपोर्ट फीडिंग	15 से 20 जुलाई 2015	विद्यालय	शिक्षक एव संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट का सत्यापन	20 से 25 जुलाई 2015	डाइट	डाइट में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक
	जिला स्तर पर डेटा फीडिंग	25 जुलाई से 5 अगरत 2015	रा.मा.शि.प. जिला कार्यालय	अ.जि.प.स., रा.मा.शि.प., संबंधित जिला
मिडलाइन	मिड लाइन	नवम्बर 2015, (अर्द्धवार्षिक परीक्षा के साथ)	विद्यालय	शिक्षक
	रिपोर्ट फीडिग	दिसम्बर 2015,	विद्यालय	शिक्षक एवं संस्थाप्रधान
एण्ड लाइन	एण्ड लाइन	मार्च 2016 (वार्षिक परीक्षा के साथ)	स्थानीय विद्यालय	शिक्षक एवं संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट फीडिंग	वार्षिक मूल्यांकन के साथ	विद्यालय	शिक्षक एव संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट का सत्यापन	अप्रैल 2016	डाइट	डाइट में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक
	अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट	दिसम्बर 2015	प्रत्येक स्तर पर	विद्यालय, जिला एवं राज्य स्तर
	वार्षिक रिपोर्ट	मई 2016		विद्यालय, जिला एवं राज्य स्तर

4.8 कक्षा 1 से 5 तक समस्त विद्यार्थियों का बेसलाइन, मिडटर्म एवं एण्डलाइन मूल्यांकन तथा फीडिंग निर्धारित तिथियों पर किया जाये।

4.9 सत्र में दो बार बेसलाइन एवं एण्डलाइन मूल्यांकन का सत्यापन डाइट में अध्ययनरत एस.टी.सी के विद्यार्थी –शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। अतः जिला एवं विद्यालय स्तर पर इस सत्यापन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

4.10 सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं प्राथमिक विंग के प्रभारी द्वारा सभी विद्यार्थियो के मासिक मूल्यांकन का सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाये तथा रिपोर्ट विद्यालय स्तर पर तैयार एवं संधारित की जाये।

4.11 बाल केन्द्रित शिक्षण (सीसीपी) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्वति के अनुरूप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का शिक्षण एवं मूल्याकंन पद्वति के सम्बन्ध में विस्तृत नियमावली/गाइड लाइन पृथक से जारी की जायेंगी।

4.12 परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों, संस्थाप्रधानो, प्रति विद्यालय एक शिक्षक (प्राथमिक विंग का प्रभारी/ शैक्षिक समर्थन देने के लिए योग्य एवं अनुभवी) तथाशिक्षकों हेतु समस्त प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित किये जायेगें। प्रत्येक स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों में सम्बन्धित संभागियों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये।

4.13 विद्यालय स्तर पर फीडिंग का कार्य विद्यालय में उपलब्ध आईसीटी लैब में किया जाये। जिन विद्यालयों में आईसीटी कम्प्यूटर लेब उपलब्ध नही है वहा रिपोर्ट फीडिंग पर होने वाला आवश्यक व्यय निर्धारित सीमा तक विद्यालय अनुदान राशि/ छात्रकोष में से किया जाये।

4.14 सीसीई विधा के अनुरूप कक्षा कक्ष गतिविधियों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाने के लिए विद्यालय में सहायक शिक्षण सामग्री, कक्षा–कक्षा सौन्दर्यीकरण, पुस्तको आदि की व्यवस्था विद्यालय अनुदान राशि/विकास कोष/जनसहयोग आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाये। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय अनुदान राशि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली, पुस्तकालय मद की राशि मे से, कुछ रोचक व सरल पुस्तके, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से क्रय की जाये तथा इनका उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4.15 विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी विद्यालय मे प्रतिमाह होने वाली अभिभावक बैठक में प्रदान की जाये साथ ही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अभिभावक को प्रेषित की जाये।

परियोजना के माध्यम से समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा अपनी समग्र भागीदारी के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर